



प्रिय महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद बलिया के नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2017 में द्वितीय चरण के मतदान एवं मतगणना को सम्पन्न कराने हेतु आपको प्रेक्षक के पद पर तैनात किया गया है, जिसके क्रम में आप द्वारा पत्र संख्या-05/पी0एस0--स0सा0प्र0वि0/2017, दिनांक 07.11.2017 द्वारा उक्त निर्वाचन कार्य से अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। निर्वाचन इयूटी से अवमुक्त किये जाने संबंधी आपके उक्त अनुरोध को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में कार्यालय राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश संख्या-3892/रा0नि0आ0 अनु0-3/न0नि0/2017, दिनांक 09.11.2017 की छायाप्रति अनुपालनार्थ प्रेषित किये जाने की मुझसे अपेक्षा की गयी है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(उदय भानु त्रिपाठी)

डा0 हरिओम,
सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 2- विशेष कार्याधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-3892/रा0नि0आ0 अनु0-3/न0नि0/2017, दिनांक 09.11.2017 के क्रम में।
- 4- विभागीय वेबसाइट।

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।